न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मन्दसौर, म0प्र0

(समक्ष : आलोक प्रतापसिंह)

Registration No : 1066 of 2021
Filing No: 5610 of 2021
C.N.R.No.MP14010065652021
Filing Date:-20-09-2021

मध्यप्रदेश राज्य,
द्वारा, थाना प्रभारी,
पुलिस थाना वाय डी नगर,
जिला मंदसौर,(म.प्र.)

:–**अभियोजन।**

– वि रू द्ध –

1. निखिल, आयु लगभग 27 वर्ष,
आत्मज श्री संजीव कपूर, व्यवसाय मजदूरी,
2. विनित, आयु लगभग 24 वर्ष,
आत्मज श्री राजीव कपूर, व्यवसाय मजदूरी,
3. पिंकेश, आयु लगभग 25 वर्ष,
आत्मज श्री चन्द्रशेखर गुप्ता, व्यवसाय मजदूरी,
सभी निवासी मंदसौर म0प्र0, (अभियुक्त क्रमांक 2 व 3 निराकृत)

:–**अभियुक्तगण।**

पुलिस थाना वाय डी नगर, मंदसौर के अपराध क्र. 498/2021 अंर्तगत धारा 279, 323, 34 भा0दं0सं0 1860 से उदभूत प्रकरण।

====================================

राज्य द्वारा :– एडीपीओ।
अभियुक्तगण द्वारा :–श्री पुरूषोत्तम लाल महेश्वरी अधिवक्ता।

====================================

।। निर्णय ।।
(आज दिनांक 09/10/2021 को घोषित)

****

1. अभियुक्त निखिल पर भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में भा.दं.सं.)

9-10-21

Contd. ---- 2

की धारा 279, 323 दो काउंट एवं अभियुक्तगण विनित एवं पिंकेश पर धारा 323 दो काउंट के तहत आरोप है कि अभियुक्त निखिल ने दिनांक 12.09.2021 को समय 16.00 बजें जग्गाखेडी पैट्रोल पंप के आगे मंदसौर पर वाहन क्रमांक एम पी 09 सी के 1874 को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं अभियुक्तगण निखिल, विनित एवं पिंकेश द्वारा आहतगण पप्पूलाल एवं पायल के साथ मारपीट कर उनको स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

2. अभियोजन के अभिकथनों का सार यह है कि दिनांक 12.09.2021 को फरियादी पप्पूलाल अपने ससुर धन्नालाल एवं साली पायल के साथ वाहन क्रमांक टी एन 45 क्यू 9855 से ग्राम पिंगराला से डोडिया मीणा जा रहा था और करीब शाम 4 बजें जग्गाखेडी पैट्रोल पंप से थोडी आगे पर पहुंचा तो सम्यक डायमंड कालोनी से एक सैंट्रो कार क्रमांक एम पी 09 सी सी 1874 के चालक द्वारा तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन को चलाकर उसकी मोटरसायकिल को टक्कर मार दी जिसके परिणामस्वरू मोटरसायकिल में नुकसान कारित हुआ और दुर्घटना कारित करने वाले वाहन में से तीन लोगों ने उतरकर पप्पूलाल के साथ मारपीट की जिससे उसे बाये पैर के घुटने में चोट आई और बीच बचाव करने आई पायल के साथ भी झुमाझटकी कर मारपीट की गई। बाद में पता करने पर उनके नाम निखिल, पिंकेश एवं विनीत पाये थे। फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट थाना वाय डी नगर में करने पर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध नामजद धारा 279, 323, 34 भादवि की एफआईआर दर्ज कर मामला अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान में विवेचक द्वारा आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया एवं नक्शामौका निर्मित किया गया एवं धारा 133 एम व्ही एक्ट का सूचना पत्र वाहन क्रमांक एम पी 09 सी के 1874 के वाहन स्वामी को प्रेषित किया गया तो वाहन मालिक द्वारा सूचना पत्र पर उक्त वाहन दिनांक 12.09.21 को अपने भतीजे निखील को दोपहर तीन बजें देना बताया। अभियुक्त से वाहन को मय दस्तावेजों की प्रतियों सहित जप्त किया गया एवं जप्तशुदा वाहन की मैकेनिकल जांच करवाई गई जहां से रिपोर्ट प्राप्त की गई। आहत पप्पूलाल द्वारा शपथ पत्र दिनांक 14.09.2021 अनुसार वाहन क्रमांक एम पी 09 सी सी 1874 त्रुटिवश लिखवा देने एवं सही नंबर एम पी 09 सी के 1874 होना बताया गया। अभियुक्तगण की गिरफतारी आवश्यक नहीं होने से उसको सूचना पत्र धारा 41 ए दप्रसं के अंतर्गत जारी किए गए तथा संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपित अपराध अभियुक्त के विरूद्ध प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग

9-10-21

Contd. -----3

पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

3. न्यायालय द्वारा अभियुक्त निखिल पर धारा 279, 323 दो काउंट एवं अभियुक्तगण विनीत एवं पिंकेश पर धारा 323 दो काउंट भादवि के अंतर्गत आरोप पत्र पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी/गण ने कथित अपराध से अस्वीकृति व्यक्त की एवं उनका अभिवाक लेखबद्ध किया गया। प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि फरियादी पक्ष एवं अभियुक्त/गण द्वारा संयुक्त रूप से राजीनामा प्रस्तुत किया जाने पर आरोपी/गण को क्षमनिय प्रकृति की धारा 323 दो काउंट भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया गया है। अतः यह निर्णय लेखन अभियुक्त निखील के संबंध में अक्षमनिय धारा 279 भादवि के संदर्भ में दिया जा रहा है।

4. <u>**अवधार्य प्रश्न**</u>–

क्या अभियुक्त निखील ने दिनांक 12.09.2021 को वाहन कमांक एम.पी. 09 सी के 1874 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

{ <u>विचारणीय प्रश्न कमांक 1 पर सकारण निष्कर्ष</u> }

5. प्रार्थी पप्पूलाल (अ.सा.01) ने अपने न्यायालयीन अभिकथनों में सब्जी विकय करने का कार्य करने एवं दिनांक 12.09.2021 को अपने ससुर धन्नालाल एवं साली पायल के साथ मोटरसायकिल कमांक टी एन 45 क्यू 9855 से पिंगराना से डोडिया मीणा जाते हुए शाम 4 बजें जग्गाखेडी पैट्रोल पंप से आगे सम्यक डायमंड कालोनी से एक चार पहिया वाहन के उनकी मोटरसायकिल के समीप से निकलने पर उनकी गाडी का बैलेंस बिगड जाने पर नीचे गिर जाने एवं चालक को आवाज देने पर उसके आने पर दोनों पक्षों के मध्य कहासुनी हो जाने एवं गाडी के नंबर याद नहीं होने एवं चालक के संबंध में जानकारी होना व्यक्त करते हुए थाना वाय डी नगर पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने पर पुलिस द्वारा कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाया जाना बताया है एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 एवं नक्शामौका प्रदर्श पी 2 के ए से ए भागों पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

6. फरियादी पप्पूलाल अ.सा.1 की साक्ष्य के अनुपरूप ही पायल अ.सा.2 द्वारा कथन करते हुए बताया है कि पप्पूलाल उसके जीजा है और वे सब्जी विकय करने का कार्य करते है। वह दिनांक 12.09.2021 को अपने पिता धन्नालाल एवं जीजा पप्पूलाल के साथ मोटरसायकिल कमांक टी एन

9-10-21

Contd. -----4

45 क्यू 9855 से पिंगराना से डोडिया मीणा जाते हुए शाम 4 बजें जग्गाखेडी पैट्रोल पंप से आगे सम्यक डायमंड कालोनी से एक चार पहिया वाहन के उनकी मोटरसायकिल के समीप से निकलने पर उनकी गाडी का बैलेंस बिगड जाने पर नीचे गिर जाने एवं चालक को आवाज देने पर उसके आने पर दोनों पक्षों के मध्य कहासुनी हो जाने एवं गाडी के नंबर याद नहीं होने एवं चालक के संबंध में जानकारी होना व्यक्त करते हुए थाना वाय डी नगर पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाने पर पुलिस द्वारा कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाया जाना बताया है।

7. अभियोजन की ओर से पप्पूलाल (अ.सा.–1) एवं पायल अ.सा.2 से सूचक प्रश्न एवं अन्य सभी प्रश्न जो प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछा जाना आवश्यक थे, उन प्रश्नों को पूछकर अपने मामले को प्रमाणित करने का प्रयास किया है, परंतु उक्त साक्षी ने अभियोजन मामले का किंचित मात्र भी समर्थन नहीं किया है। फलतः उक्त साक्षी के अभिकथनों से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन के इस सुझाव को स्पष्टतः अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को वाहन क्रमांक एम पी 09 सी के 1874 के चालक ने तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाकर उनकी मोटरसायकिल को टक्कर मार दी थी। साक्षी पप्पूलाल अ.सा.1 एवं पायल अ.सा.2 ने पुलिस कथन प्र.पी 3 व 4 को लेख कराने से भी इंकार किया गया है। उल्लेखनीय है कि हस्तगत मामले में फरियादी का अभियुक्त/गण के साथ राजीनामा हो गया है तथा अभियोजन द्वारा अपने पक्ष समर्थन में अन्य किसी सुसंगत साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है, स्वयं फरियादी के अभिकथन को दृष्टिगत रखते हुए परिलक्षित होता है कि अन्य साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन किये जाने पर भी अभियुक्त के विरूद्ध विपरीत परिकल्पना नहीं की जा सकती।

8. अभियोजन पत्र में संलग्न प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन किया जावे तो फरियादी पप्पूलाल द्वारा घटना के तुरंत पश्चात उसकी रिपोर्ट दिनांक 12.09.2021 को दर्ज करवाई गई है जिसमें उसके द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर एम पी 09 सी.सी. 1874 लेखबद्ध करवाते हुए अभियुक्तगण के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। उसके पश्चात् विवेचक द्वारा एफआईआर में उल्लेखित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के नंबर से हटकर नवीन नंबर क्रमांक एम पी 09 सी के 1874 के वाहन मालिक को धारा 133 एम.व्ही एक्ट का सूचना पत्र कैसे प्रेषित किया गया यह स्वयं में संदेहास्पद दर्शित होता है।

9-10-21

Contd. -----5

9. यह भी अवलोकनीय है कि अभियोग पत्र में फरियादी पप्पूलाल का शपथ पत्र भी विवेचक द्वारा संलग्न किया गया है। उक्त शपथ पत्र वाहन कमांक एम पी 09 सी के 1874 के जप्ती उपरांत अर्थात् दिनांक 14.09.2021 को निर्मित करवाया गया है जिसमें फरियादी पप्पूलाल द्वारा पैर में चोट होने एवं घबरा जाने के कारण गलती से एफआईआर में दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का नंबर एम पी 09 सी सी 1874 लेख करवाने एवं वास्तविक नंबर एम पी 09 सी के 1874 होना बताया गया है। विवेचक द्वारा उक्त शपथ पत्र को जप्त न करते हुए उसको मात्र अभिलेख के साथ संलग्न किया गया है। उपरोक्त अनुसंधान में की गई त्रुटी से निश्चित ही अभियोजन प्रकरण का मामला संदेहास्पद हो जाता है।

10. उपरोक्तानुसार की गई साक्ष्य की समीक्षा एवं विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन अपना पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त निखिल द्वारा सुसंगत दिनांक, समय व स्थान पर वाहन कमांक एम पी 09 सी के 1874 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया। परिणामतः **अभियुक्त निखिल पिता संजीव कपूर** को भा.दं. सं. की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते है।

12. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन कमांक एम पी 09 सी के 1874 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। अतः उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् उसके पक्ष में निराकृत समझा जावे।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

स्थान–मन्दसौर (म.प्र.)
दिनांक–09.10.2021

-21

(आलोक प्रताप सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
मंदसौर,म.प्र.

PKS**